

रांची में, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 1. स्वीकृत।
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों के छात्रबल में वृद्धि के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2. झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं 2. स्वीकृत।
के लिए 06 (छः) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 07 (सात) विद्यालयों (एक पूर्व में निर्मित) के संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1021, दिनांक-31.03.2022 को संशोधित करने के संबंध में।

वित्त विभाग

3. वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project 3. स्वीकृत।
Management Unit (PMU) के सुदृढीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु पूर्व में सृजित दो पदों को प्रत्यार्पित करते हुए दो नये पदों के सृजन के संबंध में।

वित्त विभाग

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय 4. स्वीकृत।
विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।
(कार्योपरांत स्वीकृति)

वित्त विभाग

5. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित 5. स्वीकृत।
वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक
01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों
में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग

6. झारखण्ड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु 6. स्वीकृत।
दिशा-निर्देश के संबंध में।

वित्त विभाग

7. SNA SPARSH कोषागार एवं Cyber कोषागार की 7. स्वीकृत।
स्थापना के संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

8. अपराध अनुसंधान विभाग अन्तर्गत गठित राज्य 8. स्वीकृत।
अंगुलांक ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु
स्वीकृति के संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

9. मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत 9. स्वीकृत।
वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी
सैनिक/अग्निवीर के पत्नी/आश्रित को विशेष
अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर
सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. 'रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आर० ओ० वाटर) 10. स्वीकृत।
उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली,
2024' के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं 11. स्वीकृत।
05 नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों
के सृजन के संबंध में।

पंचायती राज विभाग

12. झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 12. स्वीकृत।
श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, भा०प्र०से० (JH-1986)
(सेवानिवृत्त) की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध
में।

ऊर्जा विभाग

13. तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, ललपनिया में 13. स्वीकृत।
सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु कुल
प्राक्कलित राशि रु0 275.00 करोड़ (राज्यांश की
राशि रु० 82.50 करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति
एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंधित
राशि रु० 50.00 करोड़ ऋण स्वरूप तेनुघाट
विद्युत निगम लि० को विमुक्त करने की
स्वीकृति के सम्बन्ध में।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

14. "झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त 14. स्वीकृत।
नियमावली 2021" में संशोधन के संबंध में।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

15. झारखण्ड राज्य के राँची जिला अन्तर्गत भारतीय 15. स्वीकृत।
कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के दो
भू-खण्डों के बीच सम्पर्क पथ हेतु 0.97 एकड़
भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

खान एवं भूतत्व विभाग

16. खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार को 16. स्वीकृत।
Transaction Advisory Services उपलब्ध कराने हेतु
झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को
नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए
SBI Capital Markets Limited, Mumbai का
मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17. वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम 17. स्वीकृत।
43/1995), अधिनियम 27/2013 द्वारा यथा
संशोधित, की धारा-109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए झारखण्ड वक्फ नियमावली,
2024 की स्वीकृति का प्रस्ताव।

स्थगित।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

19. झारखण्ड राज्य में कार्यरत 04 (चार) CIAT 19. स्वीकृत।
स्कूलों को आगामी 05 वर्षों (दिनांक-01.04.2024
से दिनांक-31.03.2029 तक) के लिए कार्यरत
रखने के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

20. सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत 20. स्वीकृत।
जामताड़ा जिले में महिला महाविद्यालय,
जामताड़ा के निर्माण कार्य हेतु
रु० 58,70,96,000/— (अठावन करोड़ सत्तर
लाख छियानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक
स्वीकृति के संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

21. झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक, 2024 21. स्वीकृत।
(Jharkhand Fire Services Bill, 2024) के संबंध में।
(कार्योपरांत स्वीकृति)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग

22. कोडरमा जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय 22. स्वीकृत।
अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
हेतु पद सृजन करने के संबंध में।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

23. झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर 23. स्वीकृत।
(एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों के
मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव।

वाणिज्य-कर विभाग

24. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत 24. स्वीकृत।
दायर WPS No.5055/2021, अवधेश सिंह बनाम
झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश
दिनांक-26.04.2022 एवं उक्त वाद के विरुद्ध
दायर अपीलवाद संख्या- 125/2023 में दिनांक
31.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु
संबंधित वादी श्री अवधेश सिंह, लिपिक
(सेवानिवृत्त) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें
अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने के संबंध
में।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा
कार्य विभाग

25. केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन ईको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत नेतरहाट— बेतला—मिरचईया— दलमा— गेतलसूद— चाण्डिल सर्किट के पर्यटकीय विकास से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रु० 30.44 करोड़ के विरुद्ध रु० 43.03 करोड़ का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 25. स्वीकृत।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

26. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा माध्यमिक/+2 विद्यालयों को छोड़कर) में लिपिक/लिपिक—सह—टंकक/ टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त को विनियमित करने हेतु “झारखण्ड राज्य लिपिक/ लिपिक—सह—टंकक/ टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010 (यथासंशोधित)” को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति। 26. स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

27. झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। 27. स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

28. झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 28. स्वीकृत।
पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

ऊर्जा विभाग

29. एम्स, देवघर में 132/33 के०वी० ग्रिड 29. स्वीकृत।
सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु राशि रु० 64,78,61,817.00 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

30. राज्य योजनान्तर्गत संचालित "झारखण्ड 30. स्वीकृत।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के तहत बजटीय उपबंध प्राप्ति हेतु वित्त विभागीय परामर्शानुसार प्रशासी विभाग के विचारित पुनर्विनियोग प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-378, दिनांक-29.08.2017 के कतिपय शर्तों को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

31. झारखण्ड राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब 31. स्वीकृत।
की आपूर्ति हेतु झारखण्ड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भण्डारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन के संबंध में।

खान एवं भूतत्व विभाग

32. पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के 32. स्वीकृत।
मौजा-सुरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर
सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित कॉपर
एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का खान
एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,
1957 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रतिपादित
नियम खनिज समनुदान नियमावली, 2016 यथा
संशोधित के नियम-72(2) के तहत अवधि
विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

ऊर्जा विभाग

33. पूर्वी सिंहभूम में 5 मेगावाट एवं पलामू 33. स्वीकृत।
जिलान्तर्गत 9 मेगावाट क्षमता के ग्राउण्ड
मॉउन्टेड सोलर पावर प्लांट के आपूर्ति,
अधिष्ठापन, संचालन एवं 25 वर्षों की वार्षिक
रख-रखाव (सी०एम०सी०) कार्य हेतु प्राक्कलित
राशि क्रमशः रु० 47.79 करोड़ एवं रु० 99.41
करोड़ अर्थात् कुल रु० 147.20 करोड़ की
प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग

34. श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि 34. स्वीकृत।
क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास
पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध
विभागीय संकल्प सं०-24398 (HRMS), दिनांक
04.10.2023 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव
से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत्
रखने संबंधित प्रस्ताव।

पथ निर्माण विभाग

35. निर्माण कार्य श्रेणी की Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि (यथा 12.00% के स्थान पर 18.00%) के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान/अन्तर राशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में। 35. स्वीकृत।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

36. झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3651, दिनांक-20.12.2022 की कंडिका-4.10 को संशोधित करने के संबंध में। 36. स्वीकृत।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

37. केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस आधार पर रु० 31,71,84,000/- (एकतीस करोड़ एकहत्तर लाख चौरासी हजार) मात्र की राशि व्यय करने की स्वीकृति। 37. स्वीकृत।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

38. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूँटपानी अंचल में 38. स्वीकृत।
सम्मिलित कुल 03 (तीन) पंचायत यथा बरकेला,
पण्डावीर एवं बड़ालागिया में स्थित कुल 24
राजस्व ग्रामों को सदर अंचल, चाईबासा अंतर्गत
नया हल्का सं०-VI बनाते हुए सदर अंचल,
चाईबासा में शामिल करते हुए सभी राजस्व
संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने के संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

39. W.P.(S) No.- 582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य 39. स्वीकृत।
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक—
25.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन
में गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के
समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने के
निमित्त मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के
संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

खान एवं भूतत्व विभाग

40. राज्य सरकार द्वारा दिनांक—01.08.2024 से 40. स्वीकृत।
31.12.2024 तक आम जनों/व्यक्तिगत क्रेताओं
को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के
निमित्त घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

41. Digital Crop Survey के कार्यान्वयन हेतु भारत 41. स्वीकृत।
सरकार एवं राज्य के बीच MoU के संबंध में।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

42. State of the Art संस्थान के रूप में विकसित 42. स्वीकृत।
करने के निमित्त राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
दुमका में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार
कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि
रु० 41,63,91,900 /— (एकतालीस करोड़
तिरसठ लाख एकानबे हजार नौ सौ) मात्र के
योजना की स्वीकृति में संबंध में।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

43. झारखण्ड आंदोलन चिन्हितीकरण आयोग का 43. स्वीकृत।
अवधि विस्तार के संबंध में।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
विभाग

44. विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आँगनवाड़ी 44. स्वीकृत।
सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के
पुनर्बहाली की स्वीकृति।

ऊर्जा विभाग

45. मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अन्तर्गत 45. स्वीकृत।
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के 200
यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ
प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया
विद्युत विपत्र माफ करने की प्रशासनिक स्वीकृति
के संबंध में।

(एल० खियांगते)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड